## <u>न्यायालय: गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 783 / 2006

संस्थापन दिनांक 29.10.2005

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

## बनाम

1–भूरेसिंह पुत्र नारायणसिंह उम्र 30 साल निवासी ग्राम पिपरौली थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियुक्त

## निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

2

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 19.09.05 को 17:50 बजे ऐंचाया रोड बालाजी मंदिर के सामने गोहद जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के आयुध 315 बोर का देशी कट्टा मय राउण्ड अपने आधिपत्य में रखा।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 19.09.05 को फरियादी विश्रामसिंह अ०सा०5 हमराह प्र०आरक्षक राजहंस अ०सा०2 व आरक्षक दीनानाथ के साथ करबा भ्रमण पर थाना गोहद के प्र०आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ रहते हुए गया था गश्त के दौरान उसे मुखबिर से सूचना मिली कि ऐंचाया रोड बालाजी मंदिर के सामने पिपरोली गांव का आरोपी भूरा आयुध लिए वारदात करने की नीयत से खड़ा है हमराह फोर्स के साथ वह मुखबिर की सूचना की तस्दीक करने हेतु बालाजी मंदिर के पास पहुंचा जहां पुलिस को देखकर आरोपी भूरा भागा आरोपी को मोटरसाइकिल से पीछा कर घेरकर पकड़ा और साक्षी रहीम अ०सा०1 व उदयसिंह (मृत) के सामने तलाश किया तो उसकी कमर में बांयी तरफ 315 बोर का कट्टा मिला तलाशी लेने पर पैन्ट की दाहिनी जेब में एक जिंदा राउण्ड मिला आयुध रखने का लाइसेन्स मांगने पर आरोपी ने लाइसेन्स न होना बताया। तब समक्ष गवाहन कट्टा व राउण्ड को जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया। जप्ती पत्रक प्र०पी—1 व गिरफतारी पत्रक प्र०पी—2 बनाया

गया। थाना वापिसी पर एफ.आई.आर. प्र0पी—6 के अनुसार अप0क0 261/05 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। आयुध का परीक्षण कराकर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रकट होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.09.05 को 17:50 बजे ऐंचाया रोड बालाजी मंदिर के सामने गोहद जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के आयुध 315 बोर का देशी कट्टा मय राउण्ड अपने आधिपत्य में रखा ?

## //विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष//

साक्षी विश्रामसिंह अ०सा०५ का कथन है कि वह दिनांक 19.09.05 को थीना गोहद में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कस्बा भ्रमण 💵 कें दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बालाजी मंदिर के पास ऐंचाया रोड पर कट्टा लिए कोई वारदात करने की नीयत से खड़ा है। मय फोर्स एच.सी. राजहंस अ०सा०२, आर० दीनानाथ, के बालाजी मंदिर के पास ऐंचाया रोड पर पहुंचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर रोड के किनारे-किनारे तेजी से चलने लगा जिसे मोटरसाइकिल की मदद से घेरकर पकड़ा तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भूरे पवैया पुत्र नारायणसिंह पवैया निवासी पिपरौली का होना बताया। जिसकी तलाशी ली तो उसकी सामने पैन्ट में 315 बोर का कट्टा व पैन्ट की दाहिनी जेब में एक 315बोर का राउण्ड मिला लाइसेन्स के बारे में पूछा तो न होना बताया। मौके पर पंचान रहीम खां अ०सा०१ एवं उदलसिंह के समक्ष जप्ती पंचनामा प्र0पी–1 बनाया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र0पी–2 बनाया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफतार कर मय माल थाने पर लाया गया जहां उसके द्वारा अप०क० २६१ / ०५ की एफआईआर प्र०पी-६ कायम की गयी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्तक्षर हैं। प्रकरण की विवेचना में उसके द्वारा साक्षी रहीम अ०सा०1 व उदलसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लिखे थे अपनी तरफ से कुछ घटाया बढ़ाया नहीं था। अग्रिम विवेचना प्र0आरक्षक राजहंस अ0सा02 को सुपुर्द कर दी थी।

साक्षी राजहंससिंह अ०सा०२ का कथन है कि वह दिनांक 19.09.05 को थाना गोहद में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह प्र0आरक्षक विश्रामसिंह अ०सा०५, आरक्षक दीनानाथ के साथ कस्बा गोहद की गश्त पर गया था। उक्त दिनांक को शाम 5:00 बजे के बाद ऐंचाया रोड पर मुखबिर से सूचना मिली कि ऐंचाया रोड पर करीब 2 फलांग की दूरी पर बालाजी मंदिर के सामने भूरा पवैया अपने पास कमर में एक देशी हाथ का बना कट्टा छिपाकर किसी वारदात करने की नीयत से खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर हमराह एच.सी. विश्रामसिंह व दीनानाथ के बालाजी मंदिर पर पहुंचा तो आरोपी पुलिस को देखकर

रोड की तरफ भागा जिसका मोटरसाइकिल से पीछा किया और उसे पकड़कर साक्षी रहीस खां अ०सा०१ एवं उदयसिंह माहौर के समक्ष तलाशी लेने पर कमर के बांये तरफ एक 315 बोर का कट्टा तथा दाहिने तरफ पैन्ट की जेब में एक जिंदा कारतूस मिला। विश्रामसिंह अ०सा०५ व उसने कट्टा व कारतूस के संबंध में लाइसेन्स की पूछताछ की तो लाइसेन्स न होना बताया। आरोपी को गिरफतार कर थाने लाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अंतिम पूर्ण विवेचना हेतु केस डायरी उसे सौंपी गयी थी जिसमें उसके द्वारा जिला दण्डाधिकारी कार्यालय मिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्र०पी—4 ली गयी।

रहीम अ0सा01 ने कथन किया है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है उसके समक्ष पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जप्ती पत्रक प्र0पी—1 व गिरफतारी पत्रक प्र0पी—2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी भूरेसिंह से उसके समक्ष कट्टा व राउण्ड जप्त किया गया था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः स्वतंत्र साक्षी रहीम अ0सा01 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अन्य अभिलिखित स्वतंत्र साक्षी उदयसिंह की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप अभियोजन उसे साक्ष्य में परीक्षित कराने में असमर्थ रहा है।

साक्षी बृजराजिसंह चौहान अ०सा०४ का कथन है कि वह दिनांक 25.09.05 को पुलिस लाइन भिण्ड में प्र०आरक्षक आर्म्स के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गोहद के अप०क० 261/05 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट में जप्त 315 बोर देशी कट्टा व एक राउण्ड 315 बोर फैक्टी मेड की जांच उसके द्वारा की गयी थी। जांच में 315 बोर देशी कट्टा की संपूर्ण लंबाई 10 इंच बैरल की लंबाई 6 इंच बट ग्रिप लकड़ी का लगा है। एक्शन पार्ट्स कैच व ट्रिगर व हैम्बर लगा है फायिरेंग पिन हैम्बर के साथ ज्वाइंट है। एक्शन चैक करने पर सही पाया गया। तथा कट्टा चालू हालत में था तथा एक राउण्ड 315 बोर का फैक्ट्री मेड जिसकी पेंदी पर अंग्रेजी में 8एम.एम.के.एफ. लिखा था उक्त राउण्ड जिंदा व चालू हालत में था। कट्टा व राउण्ड कपड़े में सिले हुए प्राप्त हुए थे तथा बाद जांच सिले हुए ही वापिस किए गए। उक्त जप्तशुदा आयुध अप०क० 261/05 थाना गोहद को वापिस किया गया। उसके द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट प्र०पी—5 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

साक्षी योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा०३ का कथन है कि वह दिनांक 10.10.15 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 776/05 दिनांक 27.09.05 द्वारा थाना गोहद के अप०क० 261/05 से संबंधित केस डायरी एवं शस्त्र सीलबंद प्र०आरक्षक राजहंससिंह अ०सा०२ द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अवलोकन पश्चात जिला दण्डाधिकारी श्रीमती सुधा चौधरी द्वारा अभियुक्त भूरेसिंह पुत्र नारायणसिंह के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा मय एक जिंदा राउण्ड अवैध रूप से पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र०पी—4 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्रीमती सुधा चौधरी के हस्ताक्षर हैं।

10

प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी रहींग अ०सा०१ ने अभियोजन मामले का समर्थन

नहीं किया है और आरोपी से आयुध जप्त होने के तथ्य से इंकार किया है। अन्य स्वतंत्र साक्षी उदयसिंह की मृत्यु होने से अभियोजन उसे साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कर सका है। अतः प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में पुलिस साक्षी राजहंस अ०सा०२ और बृजराज अ०सा०४ के ही कथन अभिलेख पर हैं।

राजहंस अ0सा02 ने पैरा 3 में बताया है कि आयुध को कपड़े में 11 सीलबंद किया था और स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा प्र0पी–1 पर नमूना सील नहीं है और कथन किया है कि वह नमूना सील भी नहीं लगाते। विश्रामसिंह अ0सा05 ने पैरा 4 में कथन किया है कि उन्होंने कट्टे को मौके पर सील किया था परन्तु जप्ती पत्रक प्र0पी–1 पर नमूना सील नहीं लगी है इसका वह कारण नहीं बता सकता है। बजराजसिंह अ0सा04 ने पैरा 2 में स्पष्ट कथन किया है कि उसे कट्टा कपड़े में सिला हुआ प्राप्त हुआ था जिस पर कोई सील नहीं लगी थी। अतः जबिक राजहंस अ०सा०२ व विश्रामसिंह अ०सा०५ कट्टे को सीलबंद करना बता रहे हैं तब बृजराजसिंह अ0सा04 ने जिस कट्टे का परीक्षण किया है वह सीलबंद नहीं है तब यह समाधान नहीं होता है कि जिस कट्टे को आरोपी से ्रप्राप्त किया गया था वही कटटा परीक्षण के लिए भेजा गया था। अतः जप्त कटटा व राउण्ड ही आयुध की श्रेणी में आना विश्वसनीय रूप से स्पष्ट नहीं होता है अपित् आरोपी से प्राप्त वस्त् के अलावा अन्य वस्त् परीक्षण के लिए भेजा जाना सिद्ध होती है और दूसरी वस्त् परीक्षण के लिए भेजा जाना अभियोजन मामले में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। बृजराज अ०सा०४ के कथन पर इसलिए विश्वास किया जा सकता है कि क्योंकि जप्ती पत्रक प्र0पी-1 पर अकारण नमूना सील अंकित नहीं है जिससे सीलबंद किए जाने के संबंध में राजहंस अ०सा०२ व बुजराज अ०सा०५ द्वारा दिए कथन की विश्वसनीयता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

12 विश्रामसिंह अ०सा०५ ने पैरा 2 में कथन किया है कि उनने रोजनामचे में रवानगी वापसी डाली थी। राजहंस ने भी पैरा 2 में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है लेकिन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य रोजनामचे की प्रति अभियोजन द्वारा पेश नहीं की गयी है। अतः घटनास्थल पर उक्त दोनों साक्षीगण की उपस्थिति प्रमाणित करने के लिए सहायक साक्ष्य में ग्राह्य योग्य दस्तावेज अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया गया है।

राजहंस अ०सा०२ ने पैरा 4 में कथन किया है जिस कट्टे को आरोपी से जप्त किया था उस पर लकड़ी का बेंट लगा था लेकिन जप्ती पत्रक प्र०पी—1 पर स्पष्ट उल्लेख है कि कट्टे में लोहे की बेंटी लगी है। इस विरोधाभास पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर भी राजहंस अ०सा०३ ने इंकार किया है कि कट्टे में लकडी की बेंट नहीं लगी थी। अतः राजहंस अ०सा०२ ने जप्ती पत्रक प्र०पी—1 से भिन्न कट्टे का स्वरूप बताया है। जप्ती पत्रक प्र०पी—1 में राउण्ड पर १एमएमकेएफ अंकित होना उल्लिखित है लेकिन इस संबंध में विश्राम अ०सा०५ ने भी पैरा 4 में बताया है कि राउण्ड के पेंदे पर १एमएम लिखा हुआ था। अतः स्वयं जप्तीकर्ता विश्रामिसंह अ०सा०५ ने भी आयुध राउण्ड का जप्ती पत्रक प्र०पी—1 से भिन्न स्वरूप बताया है जबिक स्वयं उक्त साक्षी ने ही जप्ती पत्रक प्र०पी—1 लिखा है।

14 अतः स्वतंत्र साक्ष्य संपुष्टि के अभाव में पुलिस साक्षीगण राजहंस अ०सा०2, व विश्रामसिंह अ०सा०5 ने आयुध के स्वरूप के संबंध में जप्ती पत्रक प्र०पी–1 से भिन्न साक्ष्य दी है जबिक वह दोनों पुलिस साक्षीगण हैं और उन्हीं के

समक्ष व उन्हीं के द्वारा दस्तावेज बनाये गये हैं। उक्त दोनों साक्षीगण द्वारा कट्टे को सीलबंद किया जाकर परीक्षण हेतु भेजा जाना भी विश्वसनीय रूप से साबित नहीं किया गया है। अपितु बृजराजसिंह अ०सा०४ के कथन से परीक्षण हेतु प्रेषित आयुध आरोपी से जप्त आयुध से भिन्न प्रेषित किया जाना स्पष्ट हुआ है। उक्त संपूर्ण तथ्य अभियोजन मामले में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करते हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में उक्त दोनों साक्षीगण रघुराज अ०सा०२ व विश्राम अ०सा०५ के कथन पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहता है और यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 19.09.05 को 17:50 बजे ऐंचाया रोड बालाजी मंदिर के सामने गोहद जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के आयुध 315 बोर का देशी कट्टा मय राउण्ड अपने आधिपत्य में रखा।

परिणामतः आरोपी को धारा 25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। 17

सही / —
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम %
गोहद जिला भिण्ड म०प्र० प्रकरण में जप्त कट्टा व चार राउंड निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी 🕙 भिंड को भेजा जा चुका है। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे ।

दिनांक :-